

प्रेषण

श्री हात्या शिंह निहृतन्,
विहार कृष्णापुकारा
उत्तर प्रदेश राजतम् ।

लेखा मे.

तथा
केन्द्रीय साधारणिक विधाया परिषद्,
विधाया केन्द्र-2 लखनऊ केन्द्र,
श्रीति विहार, नई दिल्ली ।

विधाया 171 अनुभाग

लाभानुकूल दिनांक 10 जनवरी, 2000

विषय:- आकाकोड़ परिवार के लोक, मोरारखेड़ा, लखनऊ नगर, लखनऊ बीरी को ली0बी0सठ0इं नई दिल्ली से अनापत्ति प्रमाणा पत्र दिये जाने के लिए मेरे महोदय,

उपर्युक्त विषय पर यूनैट यह कहने का निर्देश हुआ है कि आकाकोड़ परिवार के लोक, मोरारखेड़ा, लखनऊ नगर, लखनऊ बीरी को ली0बी0सठ0इं नई दिल्ली से अनापत्ति प्रमाणा पत्र दिये जाने में का राज्य सरकार की निम्ननिवित प्रतिक्रियाओं के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 111 विद्यालय की पर्यावरण तौतावटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय का प्रबन्ध तांत्रिक में विधाया निर्देशक द्वारा नामित एक तदर्थ होकर ।
- 131 विद्यालय में कम होने वाले विद्युत तथा अनुकूलित वाति/अनुकूलित वाति के बच्चों के लिये हुराहित रहेंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश माध्यमिक विधाया परिषद् द्वारा संवादित विद्यालयों में विभिन्न बजारों के लिये नियमित रूप से अधिक रूप से अधिक नहीं जिया जायेगा ।
- 141 तीसरा द्वारा राज्य सरकार ने श्री अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और वही पूर्व में विद्यालय माध्यमिक विधाया परिषद् ने अपना वैतिक विधाया परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक विधाया परिषद्/वैतिक कार टि इण्डियन रूप से लोकप्रियेत हस्ताक्षिक नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उसका केन्द्रीय परिषद् की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक विधाया परिषद् द्वारा प्रदान आन्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे ।
- 151 तीसरा वैतिक एवं विधाया द्वारा लम्पारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त विधाया तीसरों के लम्पारियों को अनुमन्य देनेमानों तथा अन्य भागों से कम देनेमान तथा अन्य भागों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 लम्पारियों की तेवा रातें कमायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अन्यतीव उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लम्पारियों की अनुमन्य तेवा निवासित का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

- 17। राज्य तरकार द्वारा तम्य तम्य पर जो भी आदेश नियंत्रित किया जाएगे
तस्या उनका पालन होंगी ।
- 18। विद्युत्य का रिकार्ड नियांत्रित उपकरण/विद्युत्यांशों में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त रातों में राज्य तरकार के पूष्टिमोटन के किसी कोई परिवर्तन/तोड़ोपन
या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
- 2- प्रतिक्रिया यह भी होगा कि तस्या द्वारा वह हुनियांत्रित किया जाय ति
क्तों का नियांत्रित मानवानुसार व्यवस्था की जाय ।
- 12। अधिकतम अवधारणों को वेतन भुगतान राज्य तरकार द्वारा नियांत्रित वेतनमात्र
के अनुसार किया जाय ।
- 13। भूमि/भवन नियंत्रित स्वामित्व में हो ।
- 3- उक्त प्रतिक्रियों का पालन तस्या के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी
तम्य वह पापा जाता है फि तस्या द्वारा उक्त प्रतिक्रियों का पालन नहीं किया जा
एगा है अब्दा पालन बरने में किसी प्रकार की दूष या विकास बरती जा रही
है तो राज्य तरकार द्वारा प्रदत्त अनाधिकृत प्रमाण का दायत ने किया जायेगा ।

अधिकारी,

1. राज्य नियंत्रित
विद्युत्यांशों का

पुस्तक-5951111/15-7-99, लूटीनाली

प्रतिक्रिया नियन्त्रित को हुनार्थ एवं आवायक कार्यालयी हेतु प्रेषित:-

- 1- रिपोर्ट नियंत्रित, उत्तर प्रदेश, नवानकु ।
2- कालीय संपूर्ण रिपोर्ट नियंत्रित, नवानकु ।
3- किसी विद्युत्य के नियंत्रित, नवानकु जूरी ।
4- नियंत्रित उत्तर भारतीय विद्युत्य, उत्तर प्रदेश, नवानकु ।
5- प्रौद्योगिकीय विद्युत्य उत्तर प्रदेश, नवानकु ।

आदा है,

1. राज्य नियंत्रित
विद्युत्यांशों का